एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2284/2002

15.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्रीमती रानी भण्डारी, अधिवक्ता याची।
श्री हर्षवर्धन नन्दवाना, उप राजकीय अधिवक्ता।

याची ने इस रिट याचिका के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.3.98 एवं उसके आधार पर उसे दिये गये नोटिस दिनांक 15.10.2001 की वैधानिकता को चुनौती दी है। याची के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रानी भण्डारी ने मेरा ध्यान एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1577/2001 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2001 की ओर आकृष्ट किया। उक्त निर्णय को पढने से स्पष्ट होता है कि अधिसूचना दिनांक 31.3.98, जिसे कि इस रिट याचिका में चुनौती दी है, को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। उन्होनें इस सम्बन्ध में यह भी कथन किया कि इसी विवाद की विषयवस्तु के सम्बन्ध में मुख्य पीठ जोधपुर के समक्ष डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4972/2002 श्री मोहता धर्मशाला ट्रस्ट बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पेश की गयी थी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 7.3.2003 में भी उक्त अधिसूचना दिनांक 31.3.98 को अवैध घोषित कर दिया था एवं राज्य सरकार ने उसके पश्चात खण्डपीठ के उक्त निर्णय के विरुद्व कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करने का निर्णय लिया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन के परिपेक्ष्य में यह रिट याचिका निरर्थक हो जाती है। अत: यह रिट याचिका निरर्थक हो जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति